[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ). जब कि बांग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;
(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;
(iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;
(iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जब कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (**i**) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जब कि मैसर्स जनता जूट मिल्स लि. (उत्पादक) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा

किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/10/2017-डीजीएडी, दिनांक 01 जनवरी, 2018 जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अनंतिम आंकलन किया जाए, जिसे सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 30/2018 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 मई, 2018 के माध्यम से, जिसे 30 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचित किया गया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 7/10/2017- डीजीएडी, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में अपने अंतिम निष्कर्ष के माध्यम से जिसे दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **I,** खण्ड 1, प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दी गई परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर, केवल उत्पादक/निर्यातक को ही प्रतिपाटन उपाय के रूप में माना जाता है, मूल जांच में गैर-सैंपल श्रेणी के लिए सिफारिश की गई थी और तदनुसार सिफारिश की है कि निम्नलिखित अनुसार प्रविष्टि 47 को अधिसूचना सं. 14/19/2015- डीजीएडी, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के मौजूदा ड्यूटी तालिका में शामिल किया जाए-

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण *	विशेषता	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47.	5307, 5310, 5607 या 6305	टाट बैग (सैकिंग बैग्स)	सभी रूपों और विशिष्टताओं में	बांग्लादेश	बांग्लादेश	जनता जूट मिल्स लि.	जनता जूट मिल्स लि.	125.21	यूएस$/ एमटी";

और जहां कि मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लि. (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए भी अनुरोध किया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना सं. 7/23/2017-डीजीएडी, दिनांक 24 जनवरी, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड I, में दिनांक 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अंतिम आंकलन किया जाए, जिसे समर्थित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 31/2018- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 मई, 2018 के तहत अधिसूचित किया गया था व भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) दिनांक 30 मई, 2018 को सा.का.नि. संख्या 515 (अ), दिनांक 30 मई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था।

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/232017- डीजीएडी, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के अपनी अंतिम परिणामों में मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लि. (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) के लिए न्यू शिपर रिव्यू जांच को समाप्त कर दिया और यह सिफारिश की कि उत्पादक/निर्यातक अधिसूचना सं. 01/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 की ड्यूटी तालिका में अवशिष्ट श्रेणी के अनुसार आंकलित होना जारी रखेंगे।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 1/2017- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी 2017 की अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), संख्या सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के तहत निम्नलिखित और आगे भी संशोधन, एतद्द्वारा, करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

(i) तालिका में, क्रम सं. 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद और तत्संबंधी प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
"47.	5307, 5310, 5607 या 6305	टाट बैग (सेकिंग बैग्स)	सभी रूपों और विशिष्टताओं में	बांग्लादेश	बांग्लादेश	जनता जूट मिल्स लि.	जनता जूट मिल्स लि.	125.21	यूएस$/ एमटी";

(ii) तालिका के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरणः- मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लि. (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा विषयगत वस्तुओं के निर्यात को इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त तालिका में विनिर्दिष्ट अवशिष्ट श्रेणियों के तहत अंतिम रूप से आंकलित किया जाएगा।"।

(फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 11(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), सा.का.नि. संख्या 330 (अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित इसे अधिसूचना सं. 11/2017- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक, 2017, के द्वारा आखिरी बार संशोधित किया गया था।